

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

29-3-22

पञ्जावली पेश हुई, वकील वाडिया उपस्थित, वकील
वाडिया ने बतस के दौरान वाद पत्र को स्वीकार
किये जाने की इस्तुआ की।
मैंने पञ्जावली का अक्लौकन किया, वकील वाडिया
की बतस पर ममन किया। प्रात विभाजन प्रस्ताव
पर ममन किया। *पापटिन मे प्रात विभाजन प्रस्ताव
के अनुसार वाडिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर
हिंदी बतस वाडिया विरुद्ध प्रतिवादीगण 01 लगायत
06 मे इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम
हरिपुरा परवार हल्का सिडियास तहसील माण्डल मे
स्थित निम्नोक्ति अराजिपात विभाजन अनुसार वाडिया
एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 06 के नाम हिस्से
अनुसार भूमि को राजस्व बैकार्ड मे दर्ज किये जाने का
आदेश दिया जाता है।

1. श्रीमती लाडु पत्नी श्री नामूराम जाट निवासी-माल का
खेड़ा आसीन्ड तहसील आसीन्ड

आराजी नं. रकबा किस्म

593/1 0.1789 बजंड

2. श्री भंवर, नन्दु, बंदास पिता श्री हरि सायरी पत्नी
हरि जाट निवासी-माल का खेड़ा आसीन्ड तहसील आसीन्ड

आराजी नं. रकबा किस्म

593/3 0.0596 बजंड

3. श्रीमती सोहनी पत्नी जेठू जाट निवासी-माल का खेड़ा
आसीन्ड तहसील आसीन्ड

आराजी नं. रकबा किस्म

593/4 0.0596 बजंड

4. श्री नामूर पिता श्री उताप जाट निवासी-माल का खेड़ा आसीन्ड
तहसील आसीन्ड

आराजी नं. रकबा किस्म

593/2 0.0597 बजंड

उपरखर्क अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

5 ~~साल~~ ~~साल~~ जमावनी बदरबूर शामलानी
रास्ता लेव
आरजी न. रकवा

593

0-0468

जिला 01 रकवा 0-0468 6 स्टैमर

उक्तानुसार भूमि काडिया एंव उत्तिकाश्रीगण 01
लगायत 06 के माम हक हिस्से अनुसार तस्वीलमर
साठडल राजस्व रेकार्ड मे शामिल दरामद करे।
तदनुसार डिडी जारी हो। रकवा करि के न अपना-
अपना बहन करे। पितावली फैसल शुमार ले कर
गम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सांडल जिला भीलवाड़ा

(आ० 20 नियम 6 / जा०दी०)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान
वईजलास श्री डा० पूजा सक्सेना (आ००१०१००)

अनवान प्रकरण

श्रीमती लाडु पं० श्री नानूराम जाट निवासी - माल कारखेडा तहसील - आसीन्द

वादी

बनाम

1. श्री अंबर पं० श्री हीरा जाट निवासी - माल कारखेडा तहसील - आसीन्द
2. मु० मन्दु पं० श्री हीरा जाट
3. मु० बदाम पं० श्री हीरा जाट
4. मु० सायरी पं० श्री हीरा जाट
5. श्रीमती सोहनी पं० श्री लेहक जाट
6. श्री नानू पं० श्री प्रताप जाट
7. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा माण्डल त माण्डल प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 53-54 मुकदमा नं० / वर्ष 82/19 निर्णय दिनांक 29-03-22

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी
मिनजानिव मुददई व श्री राजेश तियाड़ी Adv. मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुकम


दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि अंतः वकील वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर
डिक्री बहस वादिया विकट प्रतिवादीगण सं० 1 लगायत 6 के इस आशय की जारी की जाती है
कि ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का सिडियास तहसील मांडल मे स्थित निम्नोक्त आराजियात
वादिया एव प्रतिवादीगण सं० 1 लगायत 6 के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किये जाने का आदेश
दिया जाता है, इसी अनुसार भूमि वादिया एव प्रतिवादीगण 01 लगायत 06 के नाम हिस्सेनुसार
राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे।

1. श्रीमती लाडु पं० श्री नानूराम जाट निवासी - माल कारखेडा तहसील आसीन्द

आराजी सं०	593/1
रकबा	0-1789
किस्म	बण्ड

कुल डिता 01 रकबा 0-1789 हेक्टेयर बण्ड

आज तारीख 29-03-22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।


 उपखण्ड अधिकारी
 माण्डल जिला भीलवाड़ा